



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8782

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 39061 वर्ष 2025

ओमवीर उर्फ अवधेश

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : शारदा शर्मा, वीरेन्द्र सिंह यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 913 वर्ष 2024, धारा 140(1), 103(1), 238, 61(2), 3(5) B.N.S., थाना फरीदपुर, जिला बरेली में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त सूरज के समान है जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 35592 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 15.12.2024 से जेल में है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक का मामला पृथक स्थिति में है क्योंकि उसकी निशानदेही पर शव की बरामदगी हुई है, अतः वह समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की निशानदेही पर शव की बरामदगी हुई है, मैं इसे आवेदक को जमानत देने का उचित मामला नहीं मानता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया गया है और तदनुसार **अस्वीकार** किया जाता है।
7. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को यदि कोई विधिक बाधा न हो तो सर्वोच्च न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य**;



2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के
मामलों में निर्धारित हालिया निर्णयों के सिद्धांत के दृष्टिगत यथाशीघ्र निर्णीत किया जाए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

(रवि कांत)